

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर (म.प्र.)

आदेश

क्रमांक/230/सी.जे.एम./24

जबलपुर, दिनांक-22.08.2024

सार्वजनिक अवकाश के दिनों में 03:00 बजे से 05:00 बजे तक रिमाण्ड कार्य निष्पादित करने हेतु निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट की डियूटी नियत की जाती है। निम्न सारणी अनुसार में दर्शाये गए न्यायिक मजिस्ट्रेट नियत दिनांक पर अपने स्टाफ सहित दोपहर 03:00 बजे से 05:00 बजे तक स्वयं के न्यायालय में उपस्थित होकर सभी न्यायालय के रिमाण्ड कार्य जो उक्त दिनांक को प्रस्तुत किए जावेंगे, निष्पादित करें :-

क्र	न्यायिक मजिस्ट्रेट	दिनांक	क्र	न्यायिक मजिस्ट्रेट	दिनांक
1	श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा	01.09.2024	6	श्रीमती रिशा अहमद कुरैशी	17.09.2024
2	श्रीमती नेहा तोमर सिंह	07.09.2024	7	श्री मूपेन्द्र सिंह	21.09.2024
3	श्रीमती ज्योत्सना आर्य	08.09.2024	8	श्रीमती मीनाक्षी दांदेलिया खण्डेलवाल	22.09.2024
4	सुश्री अभिसारिका माहुँने	15.09.2024	9	श्रीमती नमिता बौरासी	29.09.2024
5	श्रीमती मुनमुन सिंह	16.09.2024			

सिहोरा न्यायालय

क्र	मजिस्ट्रेट का नाम	दिनांक	क्र	मजिस्ट्रेट का नाम	दिनांक
1	सुश्री रेशमा खातून	8.09.2024 22.09.2024	4	सुश्री उर्वशी यादव	01.09.2024 17.09.2024
2	सुश्री खालिदा तनवीर	15.09.2024 29.09.2024	5	सुश्री दीपशिखा दांगी	07.09.2024 21.09.2024
3	श्रीमती तनुश्री शिवहरे	16.09.2024			

पाटन न्यायालय

क्र	मजिस्ट्रेट का नाम	दिनांक	क्र	मजिस्ट्रेट का नाम	दिनांक
1	श्री दशरथ सिंह मिडे	01.09.2024 16.09.2024 29.09.2024	3	श्रीमती उजाला झा	08.09.2024 21.09.2024
2	श्रीमती रीतिका शर्मा	07.09.2024 17.09.2024	4	श्रीमती अमृता मिश्रा	15.09.2024 22.09.2024

- यदि किसी कारणवश संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर नियत दिनांक को रिमाण्ड डियूटी करने में असमर्थ रहते हैं और रिमांड डियूटी आपसी सहमति से परिवर्तित करते हैं, तो दोनों न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित सूचना समय पूर्व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रेषित करेंगे।
- यदि किसी कारणवश सूची में दर्शित उपरोक्त तिथि में सार्वजनिक अवकाश निरस्त कर उसके स्थान पर अन्य अवकाश तिथि निर्धारित की जाती है तो जिस तिथि को न्यायिक मजिस्ट्रेट की रिमाण्ड डियूटी थी वह न्यायिक मजिस्ट्रेट घोषित नवीन अवकाश तिथि पर रिमांड डियूटी करेंगे।
- यदि किसी कारणवश सूची में दर्शित तिथि के अलावा अन्य सार्वजनिक अवकाश घोषित हो जाता है तो निम्नानुसार अनुसूची में वर्णित कॉलम नं. 02 में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमांड कार्य निष्पादित करेंगे एवं कॉलम नं. 02 के न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने पर कॉलम नं. 03 में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा कॉलम नं. 03 के न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने से कॉलम नं. 04 में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा रिमाण्ड कार्य निष्पादित किया जावेगा-

// अनुसूची //

जिला न्यायालय- जबलपुर।

अवकाश	प्रथम प्रभारी	द्वितीय प्रभारी	तृतीय प्रभारी
01	02	03	04
प्रथम घोषित सार्वजनिक अवकाश	श्रीमती मीनाक्षी दंदेलिया खण्डेलवाल	श्रीमती नेहा तोमर सिंह	श्री स्वास्तिक सावंत
द्वितीय घोषित सार्वजनिक अवकाश	श्रीमती नेहा तोमर सिंह	श्री स्वास्तिक सावंत	सुश्री किरण वर्मा

तहसील न्यायालय-पाटन

अवकाश	प्रथम प्रभारी	द्वितीय प्रभारी	तृतीय प्रभारी
01	02	03	04
प्रथम घोषित सार्वजनिक अवकाश	श्रीमती रीतिका शर्मा	श्री दशरथ सिंह मिडे	श्रीमती अमृता मिश्रा
द्वितीय घोषित सार्वजनिक अवकाश	श्री दशरथ सिंह मिडे	श्रीमती अमृता मिश्रा	श्रीमती उजाला झा

तहसील न्यायालय- सिहोरा

अवकाश	प्रथम प्रभारी	द्वितीय प्रभारी	तृतीय प्रभारी
01	02	03	04
प्रथम घोषित सार्वजनिक अवकाश	श्रीमती रेशमा खातून	सुश्री दीपशिखा दांगी	सुश्री उर्वशी यादव
द्वितीय घोषित सार्वजनिक अवकाश	सुश्री दीपशिखा दांगी	सुश्री उर्वशी यादव	श्रीमती तनुश्री शिवहरे

4. उक्त सूची में दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण या पदोन्नित हो जाने के फलस्वरूप उनके स्थान पर पदभार ग्रहण करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट उस दिनांक को रिमांड कार्य निष्पादित करेंगे एवं यदि किसी कारणवश दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय रिक्त हो जाती है या स्थानांतरित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पदभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उस दिनांक का रिमांड कार्य उपरोक्त वर्णित अनुसूची के अनुसार प्रथम घोषित सार्वजनिक अवकाश में उल्लेखित कमशः प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा एवं उनके भी अवकाश पर होने से द्वितीय घोषित सार्वजनिक अवकाश में उल्लेखित कमशः प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निष्पादित किया जावेगा।

5. रिमांड न्यायालय अपने न्यायालय की रिमाण्ड डियूटी जिस दिनांक को, की जानी है, उसकी सूचना अपने न्यायालय के रिमाण्ड पेनल सूची के अधिवक्ताओं को प्रदान करें।

Sd/-
(आलोक प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर

प्रतिलिपि-

- 1- निज सचिव, (प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश) की ओर माननीय महोदय को अवगत कराये जाने हेतु प्रेषित।
- 2- श्रीन्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी जबलपुर/सिहोरा/पाटन।
- 3- अध्यक्ष/सचिव जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर एवं जिला अभियोजन अधिकारी जबलपुर।
- 4- जिला नाजिर, जिला न्यायालय जबलपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 5- जूनियर सिस्टम ऍनालिसिस जबलपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

(आलोक प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर